

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- २ | 2021

तारीख १.2.2021

01. शंभुलाल पिता भीमा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. औमप्रकाश पिता भवानीलाल जाति धाकड. उम्र वयस्क निवासी केसरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. गोपाल पिता नन्दा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी केसरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. बोधलाल पिता भवाना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक: १.2.2021

प्रार्थना पत्र शंभुलाल पिता भीमा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा झाड़ोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 221 पर अंकित आराजी संख्या 901/145 रकबा 3-00 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा झाड़ोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 221 पर अंकित आराजी संख्या 901/145 रकबा 3-00 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जि-भीलवाड़ा